(218)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R 5244-II/15

5 रु. COURT भारत पाँच रुपये | 5 रु. COURT भारत पाँच रुपये | 5 रु. COURT भारत पाँच रुपये | 5 रु. COURT भारत पाँच रुपये | 5 रु. COURT भारत पाँच रुपये | 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

830

शिवकरण उर्फ शुभकरण तनय कन्हई तेली, निवासी ग्राम पापल, तह0 सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0

--------निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम्

1— मेसर्स डी0बी0पावर प्लाट एम0पी0लि0 द्वारा अधिकृत सहायक प्रबंधक प्रेस काम्पलेक्स एम0पी0नगर भोपाल, जिला भोपाल म0प्र0

2— रामचरण तनय शोभनाथ साहू

3— शिवचरण तनय शोभनाथ साहू

4— रामपति तनय शोभनाथ साहू

सभी निवासी ग्राम –निवास, तह0 सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0

--------गैरनिगरानीकर्तागण /अनावेदकगण

श्री. मुकेश कुमार मिश्रा एड. द्वारा आज दिनांक 21-12-15 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर संभाग रीवा के प्र0 कमांक 416/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :–

यह कि ग्राम गोर्गी पटवारी हल्का पापल, सर्किल धौहनी वर्तमान सर्किल निवास, तह0 देवसर वर्तमान सरई, जिला सिंगरौली स्थित भूमि नं0 4,82, 83/1, 85, 101, 204, 319, 327, 328, 329, 374 कुल 11 किता, कुल रकवा 7.01हे. भूमि के निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण 02 ता 04 संयुक्त खातेदार है, जिसमें निगरानीकर्ता का हिस्सा 1/9 रकवा 0.77हे. एवं गैरनिगरानीकर्तागण कमांक 02 ता 04 का हिस्सा 2/3 समस्त रकवा में है, जो राजस्व रिकार्ड दर्ज है उक्त भूमियो को गैरनिगरानीकर्तागण कमांक 02 ता 04 द्वारा जरिये विकय विलेख गैरनिगरानीकर्ता कमांक 01 को बिकीत कर उसका नामांतरण गैरनिगरानीकर्ता कमांक 01 के पक्ष में राजस्व प्रकरण कमांक **47/अ–6/2010–11** पारित आदेश दिनांक **18.11.2010** नायव तहसीलदार तह0

शिवकरन

M.K. Mishra

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0R.5244–II/15 जिला–सिंगरौली

शिवकरण उर्फ शुभकरण साहू/मे0 डी0बी0 पावर प्लांट

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	